2019/00195

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह गोयल जाति राजपुत निवासी नयावास, सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही		लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 20 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.09.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 22.7.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि रिवाईज पेंशन /पीपीओ संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 22.7.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि रिवाईज पेंशन /पीपीओ संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे उपलब्ध पत्र कमांक 556 दिनांक 8.8.2019 को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील परिपोषणीय नही होने से अस्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट चाहे तो सक्षम द्वितीय अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner